

>

Title: Election of Two members from Lok Sabha to the Employees' State Insurance Corporation.

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

" कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (i) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948, read with rule 2A of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Employees' State Insurance Corporation, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

...(Interruptions)
